क्रम संख्या--78

रजि. नं. एल. डब्लू./एन. पी. 890
लाइसेन्स नं. डब्लू. पी.—41
लाइसेंस टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 3 अप्रैल, 1999

चैत्र 13, 1921 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 863/सत्रह-वि-1—1 (क) 18-1999

लखनऊ, 3 अप्रैल, 1999

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999 पर दिनांक 3 अप्रैल, 1999 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 1999 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1999

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 1999)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1999 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा यथा संशोधित और पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973 की धारा 20 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, की धारा 20 में, उपधारा (1) में खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात् :—

"(घ) कुमायूं और बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालयों तथा डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर, हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, डाक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद और महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली की स्थिति में,—

(I) विश्वविद्यालय का प्रतिकुलपति या उपर्युक्त खण्ड (ग) में निर्दिष्ट संकायाध्यक्ष से भिन्न एक आचार्य, एक उपाचार्य और एक प्राध्यापक जिसका विहित रीति से चयन किया जायगा;

(II) सम्बद्ध महाविद्यालयों के तीन प्राचार्य और दो अन्य अध्यापक, जिनका विहित रीति से चयन किया जायगा;

और धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित किसी अन्य विश्वविद्यालय की स्थिति में, सम्बद्ध महाविद्यालयों के चार प्राचार्य और चार अन्य अध्यापक जिनका विहित रीति से चयन किया जायगा; (घघ) दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर की स्थिति में,—

(i) विश्वविद्यालय का प्रतिकुलपति या उपर्युक्त खण्ड (ग) में निर्दिष्ट संकायाध्यक्ष से भिन्न एक आचार्य, एक उपाचार्य और एक प्राध्यापक जिसका विहित रीति से चयन किया जायगा;

(ii) महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद, गोरखपुर का एक प्रतिनिधि जिसे उक्त परिषद् द्वारा उसके सदस्यों में से निर्वाचित किया जायगा;

(iii) सम्बद्ध महाविद्यालयों के तीन प्राचार्य और दो अन्य अध्यापक, जिनका विहित रीति से चयन किया जायगा;"

आज्ञा से,
गणेश शंकर पाण्डेय,
विशेष सचिव।

No. 863 (2)/XVII-V-1—1(KA)-18-1999

Dated Lucknow, April 3, 1999

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vishwavidyalaya (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 1999 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 20 of 1999) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on April 3, 1999.

THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES (SECOND AMENDMENT) ACT, 1999

(U. P. ACT No. 20 OF 1999)

[As Passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973

IT IS HEREBY enacted in the Fiftieth Year of the Republic of India as follows :—

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh State Universities (Second Amendment) Act, 1999.

2. In section 20 of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 in sub-section (1) *for* clause (*d*) the following clauses shall be *substituted*, namely :— Amendment of section 20 of the President's Act no. 10 of 1973 as amended and re-enacted by U.P. Act no. 29 of 1974

"(*d*) in the case of Universities of Kumaun and Bundelkhand and the Doctor Bhimrao Ambedkar University, Agra, the Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University, Kanpur, the Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University, the Chaudhary Charan Singh University, Meerut, the Doctor Ram Manoher Lohia Avadh University, Faizabad and the Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University, Bareilly,—

(*i*) one Professor other than the Pro-Vice-Chancellor or a Dean referred to in clause (c) above, one Reader and one Lecturer of the University to be selected in the manner prescribed ;

(*ii*) three Principals and two other teachers of affiliated colleges, to be selected in the manner prescribed ;

and in the case of any other University notified under sub-section (1) of section 37, four Principals and four other teachers of affiliated colleges to be selected in the manner prescribed ;

(*dd*) in the case of the Deen Dayal Upadhaya Gorakhpur University, Gorakhpur,—

(*i*) one Professor other than the Pro-Vice-Chancellor or a Deen referred to in clause (c) above, one Reader and one Lecturer of the University to be selected in the manner prescribed ;

(*ii*) one representative of Maharana Pratap Shiksha Parishad, Gorakhpur to be elected by the said parishad from amongst its members ;

(*iii*) three Principals and two other teachers of affiliated colleges, to be selected in the manner prescribed ;"

By order,
G. S. PANDEY,
Vishesh Sachiv,

पी० एस० यू०पी०—ए० पी० 3 सा० विधा०—(20)—1999—850 (मैके०) ।